न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 152 / 2019

प्रार्थी
1. डुगराराम पुत्र किस्तुराराम
2. कानाराम पुत्र किस्तुराराम
3. शकराराम पुत्र किस्तुराराम
   जाति कुम्हार निवासी बेरी गाव, तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. पेमाराम पुत्र हरीगा
2. मिसरा पुत्र हरीगा
3. चुनाराम पुत्र केवदाराम
4. देदाराम पुत्र केवदाराम
5. मुलाराम पुत्र केवदाराम
6. रमेशकुमार पुत्र केवदाराम
7. तीजोदेवी पत्नी केवदाराम
8. रूपाराम पुत्र भूराराम
9. रायमल पुत्र भूरा
10. हरचन्द पुत्र भूरा
11. पदमा बेवा भूरा
    जातियान कुम्हार निवासी बेरी गाव तहसील गुडामालानी
    जिला बाड़मेर
12. मागीलाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी गोदारो की ढाणी तहसील गुडामालानी
13. भगवानाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोइ निवासी सनावडा खुर्द तहसील धोरीमना
14. शाखा प्रबन्धक एसबीआई गुडामालानी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

उपस्थित :–

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी सख्या 12**
3. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 व 13**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21.12.20

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारा खातेदारी कृषि भूमि का खेत राजस्व ग्राम बेरीगाव के खसरा नम्बर 85/1 रकबा 14 बीघा का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौस के खेत खसरा नम्बर 85 में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते हैं जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। मुख्य सड़क से होकर हमे खातेदारी तक संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी सख्या 12 के वकील जगदीश विश्नोई ने उपस्थित होकर रास्ता देना स्वीकार किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 एवं 13 की ओर से वकील डालूराम चौधरी द्वारा बकालातनामा पेश किया गया परन्तु बकालतानामा पर अधिवक्ता डालूराम चौधरी द्वारा हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Scanned with CamScanner

नहीं किये गये तदोपरान्त भी न्यायालय द्वारा जबाव हेतु अवसर दिये जाने के 90 दिवस की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व 13 का जबाव का अवसर बन्द किया गया। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने रिर्पोट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी डुगरा वगैरा के खसरा नम्बर 85/1 रकबा 14 बीघा से होकर सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने का विप्रार्थीगण सख्या 1 से 13 के खातेदारी खेत ग्राम बेरीगाव के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 130.16 बीघा में से होकर गुजरना आवागमन हेतु एक विकल्प है। विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 85 में से कटाण हेतु प्रस्तावित रास्ते जो कि संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाया गया है की लम्बाई 47 गट्ठा तथा चौड़ाई 3 गट्ठा कुल रकबा 141 वर्ग गठा अथात 0.07 बीघा है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थी की आराजी ग्राम बेरीगाव के खसरा नम्बर 85/1 रकबा 14 बीघा बीघा में आने–जाने हेतु विप्राथीगण के खेत का विप्रार्थीगण सख्या 1से 13 के खातेदारी खेत ग्राम बेरीगाव के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 130.16 में से लम्बाई 47 गट्ठा तथा चौड़ाई 3 गट्ठा कुल रकबा 141 वर्ग गठा अथात 0.07 बीघा भूमि रास्ते हेतु बरंग लाल संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी
गुड़ामालानी

Scanned with CamScanner